

[भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 40/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 31.08.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, “एल्युमिनियम सदन”, कोर-6, स्कोप ऑफिस कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.	फ़ा सं. DRI/KZU/ CF/Enq-72 (Int- 09)/2018 दिनांक 09.07.2020.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, पोर्ट एरिया, विसाखपटनम. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, पोर्ट एरिया, काकीनाड़ा.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2.	मै. मैत्री इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्रा. लि., ऑफिस सं. 3, बिज्जबाय एस सं. 29, एनआईबीएम रोड, कोंधवा खुर्द, पुणे, महाराष्ट्र-411048 और 43 अन्य.	फ़ा सं. DRI/AZU/SRU- 29/2018-Maitree दिनांक 16.07.2020.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-जनरल, अर्शिया प्रभारी (एफटीडबल्यूजेड), रायगढ़. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			शुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.	
3.	<p>मै. एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड, F-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेस-II, नई दिल्ली-110020,</p> <p>2. श्री सुशील सेठी पुत्र श्री पूनम चंद सेठी, प्रबंध निदेशक, मै. एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड, F-27/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेस-II, नई दिल्ली-110020, और मै. पी एस बेदी &amp; को. प्रा. लिं., D-14/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेस-I, नई दिल्ली-110020</p>	फ़ा सं. DRI/ASR/ 856 (Int-1)(Enq-1) 2020 दिनांक 12.03.2020.	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात).</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क (आयात).</p>	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद, नई दिल्ली.
4.	<p>मै. अमन इंजीन्यरिंग वर्क्स, #C-54-55, फोकल पॉइंट एक्सटेंशन, जालंधर, पंजाब-144004.</p>	फ़ा सं. DRI/ASR/856 (Int-3)(Inv-3) 2019 दिनांक 05.06.2020.	<p>आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, इनलैंड कंटेनर डिपो, जीआरएफएल कॉम्प्लेक्स, जी टी रोड, सहनेवाल, लुधियाना.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), गुप VB.</p>	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, इनलैंड कंटेनर डिपो, जीआरएफएल कॉम्प्लेक्स, जी टी रोड, सहनेवाल, लुधियाना.
5.	<p>मै. कप्सटन मीटर्स (इंडिया) लिमिटेड, 52, जनपथ, नई दिल्ली-110001 और 3 अन्य.</p>	फ़ा सं. DRI/ASR/ 856 (Int-13) (Inv-13) 2019 दिनांक 10/11.06.2020.	<p>आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), गुप 5B.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), सहर, अंधेरी (E), मुंबई के कार्यालय मे सहायक/उप</p>	आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), गुप 5B.

			आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), ग्रुप 5B.	
6.	मै. दुर्गा एंटरप्राइसेस, K-62, भू तल, पीरा गढ़ी उद्योग नगर, दिल्ली-110063 और 18 अन्य.	फ़ा सं. DRI/AZU/ CI/Enq-17 (Int- 05)/2018 दिनांक 29.07.2020, दिनांक 13.08.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद, दिल्ली.
7.	मै. हेलिऑस पैकेजिंग प्रा. लि., ईपीआईपी इंडस्ट्रियल एरिया, नीमराना, राजस्थान-301705 और 2 अन्य.	फ़ा सं. DRI/DZU/ JRU/19/Int-15/ 2018 दिनांक 05.06.2020, दिनांक 14/17.08.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर, एनसीआरबी, स्टाचू सर्कल, C-स्कीम, जयपुर. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली. सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर, एनसीआरबी, स्टाचू सर्कल, C-स्कीम, जयपुर.

[फ़ा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-25/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, दिल्ली, लुधियाना और कोलकाता को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें